UPMB010003352026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी(सी०ए०डब्लू०) महोबा

उपस्थित–तेन्द्र पाल, उच्चतर न्यायिक सेवा– UP–1719

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-162/2026

कुलदीप कुमार गुप्ता उर्फ कल्लू गुप्ता उम्र 43 वर्ष पुत्र स्व० देवीदीन गुप्ता निवासी मुहल्ला छजमनपुरा महोबा थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा उ०प्र०।

............प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश। ....प्रतिपक्षी।

मु०अ०सं०-488/2025

धारा-115(2), 324(5), 352, 127(2), 126(2), 351(2), 117(2), 331(6) बी०एन०एस०

थाना-कोतवाली महोबा, जिला महोबा।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी0 एन 0 एस 0 एस 0</u>

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त कुलदीप कुमार गुप्ता उर्फ कल्लू गुप्ता, जो मु0 अ 0 सं0-488/2025 अन्तर्गत धारा 115(2), 324(5), 352, 127(2), 126(2), 351(2), 117(2), 331(6) बी०एन०एस० थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा के प्रकरण में वांछित हैं, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी /अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी व वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं केस डायरी का परिशीलन किया।
2. प्रार्थी/अभियुक्त ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। उसका अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो दिया गया है और न ही विचाराधीन है।
3. प्रथमसूचनाकर्ता दिनेश गुप्ता पुत्र स्व० रमा शंकर गुप्ता ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली महोबा को इस आशय की तहरीर दी कि वह लवकुशनगर मार्ग, कल्याण नगर थाना महोबा जिला महोबा का निवासी है। दिनाँक

10.10.2025 को रात्रि करीब 11:45 पर कुल्लू गुप्ता पुत्र देवीदीन गुप्ता, नितिन गुप्ता पुत्र व पता अजात, अनुज गुप्ता पुत्र व पिता अज्ञात अन्य 10 अज्ञात लड़को के साथ कल्याण नगर स्थित उसके घर पर सीढ़ी लगाकर दीवार फांदकर घुस गए। सभी लोग अपने हाथों में लाठी डंडे लोहे की राड, लोहे की चेन, पाइप, चाकू अवैध असलाहा आदि लिए थे। इन सभी ने उसके घर में घुसकर पहले उसके घर पर कम्प्यूटर और घर पर रखे सामान की तोड़फोड़ की। जब उसने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया, उसका मोबाइल तोड़ दिया। माँ-बहन की गन्दी गन्दी गालियाँ देने लगे। इसके बाद कुल्लू, नितिन, अनुज अपने अज्ञात साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करने के उद्देश्य से उसे जबरदस्ती खींचते हुए उसक अपहरण कर अज्ञात स्थान पर ले गए। वहाँ सभी ने उसे जान से मारने का प्रयास करते हुए मुझ पर चाकू, लाठी डंडों, असलहों की बटों से बेदर्दी से मारकर मरणासन्न हालत में कर दिया। वह बेहोश हो गया तो सभी लोग उसे मृत समझकर मौके से भाग गए। जब उसे होश आया तो वह कजारिया टाइल्स के सामने पड़ा था। पैदल चलकर किसी तरह अपने घर पहुंचा और अपने परिवार को घटना की सूचना दी, जिसके बाद उसके बड़े भाई सुरेश पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान अस्त-व्यस्त है। कम्प्यूटर सिस्टम टूटा पड़ा है अन्य घरेलू सामान भी क्षतिग्रस्त है। घर के पीछे की ओर जाकर देखा तो बाहर की ओर से एक सीढ़ी लगी थी जिससे सभी लोग अंदर आये थे। रात्रि में उसने और उसके भाई ने घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी। कुल्लू सहित सभी के हमले से उसके सिर सहित पूरे शरीर पर गंभीर चोटे आई है। उसके हाथ की उगली और कंधे नही उठ रहा है शायद फ्रैक्चर हो गया है। ये सभी आपराधिक किस्म के व्यक्ति है ये सभी लोग मिलकर उसे जान से मारने के उद्देश्य से दीवार फांदकर घुसे थे आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि उसे न्याय दिलाने की कृपा करें

4. प्रथम सूचनाकर्ता की उक्त तहरीर के आधार पर घटना की प्राथमिकी थाना कोतवाली नगर महोबा जिला महोबा में दिनांक 13.10.2025 को मु0 अ 0 सं0 488/2025 अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 140(3), 115(2), 324(5), 331(6), 352 बी0 एन 0 एस 0 के अन्तर्गत प्रार्थी/अभियुक्त तथा नितिन गुप्ता, अनुज गुप्ता व दस लड़के नाम पता अज्ञात के विरूद्ध दर्ज की गयी।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि वह निर्दोष है, उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा कथित घटना में वर्णित कोई भी घोर उपहति, रात्रि में घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने आदि का अपराध कारित नहीं किया गया है। उसको झूठा फसाया गया है। उक्त कथित प्रथम सूचना में घटना दिनांक 10.10.2025 की रात्रि 23.45 बजे की होना लिखा गया है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 13.10.2025 समय 18.04 बजे लिखाई गयी है प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब से दर्ज करवाने का कोई भी कारण नहीं लिखा गया है जिससे उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित घटना सन्देहास्पद एवं झूठी व सोच समझकर लिखायी गयी प्रतीत होती है।उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी द्वारा स्वंय शपथपत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक महोबा को उसका का उक्त कथित घटना में न होना लिखकर दिया गया है एवं जरिये रजिस्टर्ड डाक से भी प्रार्थनापत्र/ शपथपत्र दिया गया है जिसमे उक्त कथित घटना में लोगो के द्वारा बताये जाने के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका नाम अंकित करना एवं उसके द्वारा वादी के साथ कोई भी घटना कारित किया जाना नहीं बताया गया है जिससे वह पूर्णतया निर्दोष है। वह एक महोबा का प्रतिष्ठित व्यापारी है एवं समदनगर महोबा निकट "मंदाकिनी पैलेस (शादी घर) का मालिक एवं संचालक है एवं इनके अतिरिक्त वह अन्य व्यापार भी करता है जिससे उसकी शहर महोबा में अच्छी ख्याति है जिसे धूमिल करने के उद्देश्य से उक्त कथित घटना में उसका गलत नाम लिखाया गया है। पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार किये जाने की पूर्ण आशंका है यदि पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देगी तो उसकी अच्छे व्यापारी की ख्याति धूमिल होने की पूर्ण सम्भावना है। उसका कोई भी दोष सिद्ध आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः प्रार्थना है कि उसका अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाये।
6. उभयपक्ष को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।
7. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है वह एक महोबा का प्रतिष्ठित व्यापारी है और उसकी महोबा शहर में अच्छी ख्याति है। यदि उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसकी अच्छे व्यापारी की ख्याति धूमिल होने की पूर्ण सम्भावना है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी द्वारा स्वयं पुलिस अधीक्षक महोबा को शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट लोगो के बताये

अनुसार लिखवा दी थी। आवेदक/ अभियुक्त द्वारा वादी के साथ कोई भी घटना कारित नहीं की गयी। अभियुक्त की ओर से वादी के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोबा को प्रेषित शपथपत्र तथा वादी के चिकित्सीय प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अभियोजन की ओर से कहा गया है कि अभियुक्त प्रस्तुत मुकदमें में वांछित है, जबकि वादी मुकदमा द्वारा स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तत किया गया है कि अभियुक्त कुलदीप कुमार गुप्ता उर्फ कल्लू गुप्ता के विरूद्ध लोगों के कहने पर शिकायत की थी परन्तु जैसे ही उसे घटना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुयी तो उसने स्वयं पुलिस अधीक्षक महोबा के यहॉ शपथपत्र दिया और आज न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है कि उसके साथ अभियुक्त द्वारा कोई भी घटना कारित नहीं की गयी। अभियुक्त के खिलाफ वह कोई कार्यवाही नहीं चाहता। वादी द्वारा पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष प्रस्तुत किये गये शपथपत्र दिनांकित 27.01.2026 की फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी है तथा प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोबा को प्रेषित शपथपत्र में वादी मुकदमा /पीड़ित दिनेश गुप्ता द्वारा पैरा नम्बर-2 में कहा गया कि घटना रात के समय की थी जिस कारण उसने किसी को भी नहीं देखा था किसने उसे मारा कौन उसके घर आया। लोगों के कहने पर अभियुक्तगण के नाम लिखवा दिये। उक्त लोग अपराधी नहीं है न ही उसके साथ उक्त लोगों को कोई घटना कारित की गयी। गलती से उक्त लोगों के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखा दिये। उनके गलत नाम लिखने से आपसी सम्बन्ध खराब हो रहे हैं। वादी द्वारा उक्त शपथपत्र में यह भी कहा है कि वह अब मुकदमा नहीं चलाना चाहता। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त् कुलदीप कुमार गुप्ता उर्फ कल्लू गुप्ता के विरूद्ध वादी द्वारा उसके घर में घुसकर मारपीट करने, मोबाइल तोड़ने, अपहरण करने तथा गंदी-गंदी गाली देने का कथन किया है और अभियुक्त द्वारा उसको चोंट पहुंचाने का भी कथन किया गया है। विवेचना अभी जारी है। पीड़ित/वादी मुकदमा द्वारा स्वयं ही अभियुक्त का नाम गलत लिखाने का कथन किया गया है। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोबा को शपथपत्र भी प्रेषित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के भागने की सम्भावना नहीं है। उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितयों एवं मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बगैर प्रस्तुत मामला अग्रिम जमानत के लिये उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. **आदेश** - प्रार्थी/अभियुक्त कुलदीप कुमार गुप्ता उर्फ कल्लू गुप्ता की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर निम्न लिखित शर्तों के अधीन सशर्त स्वीकार किया जाता है-

1. प्रार्थी/अभियुक्त मुबलिग 50,000/-रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की एक प्रतिभू निष्पादित करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
4. प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
5. प्रार्थी/अभियुक्त ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उसके ऊपर अभियोग है।

दिनांकः11-03-2026

(तेन्द्र पाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,
(सी०ए०डब्लू०), महोबा।
UP–1719

Digitally signed by TENDRA PAL
Date: 2026.03.12 17:47:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court